

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंध विभाग
-: अधिसूचना :-

दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि एन0टी0पी0सी0तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रोड निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पञ्चम अधियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. जिला- | रायगढ |
| 2. तहसील- | घरघोडा |
| 3. नगर/ग्राम- | रायकेरा |
| 4. क्षेत्रफल- | 1.764 हे0 |

खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)
3/1	0.470	14/6	0.186
3/2	0.041	590/1	0.032
6/1	0.017	590/11	0.004
6/2	0.043	590/2	0.061
7	0.016	590/12	0.006
8	0.053	590/3	0.024
9	0.205	590/5	0.008
10/1	0.010	590/8	0.005
11/1	0.192	590/9	0.012
11/2	0.110	591/1	0.027
11/3	0.020	591/2	0.117
11/4	0.025	591/3	0.049
14/5	0.004	591/4	0.027
कुल खसरा नंबर 26		कुल रकबा 1.764	

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शम्मी आबिदी)

कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग